[निजी प्रसार के लिए]

अंक १९ नई दिल्ली, सितम्बर २०११

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'सभी पुलिसकर्मियों में नेतृत्व कौशल होना आवश्यक है'

श्री जे.एस. पाण्डे

उत्तराखण्ड पुलिस महानिदेशक श्री जे.एस. पाण्डे से उनके कार्यकाल में प्रदेश में पुलिसिंग में हो रहे परिवर्तनों व पुलिसिंग सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर नवाज़ कोतवाल व ज़ीनत मलिक के कुछ प्रश्नोत्तर। इसका पहला भाग लोक पुलिस के अगस्त २०११ अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। नीचे प्रस्तुत साक्षात्कार पिछले अंक का शेष भाग है।

प्रश्नः पुलिस बल में आपकी व्यावसायिक छवि, उत्तराखंड तथा इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में भी सादगी का प्रतीक रही है। क्या आपको इसका प्रतिबिम्ब अपने अधिनस्थों के कार्य निष्पादन में दिखाई पड़ता है? क्या आपके विचार में नेतृत्व स्तर के अधिकारियों का आचरण दूसरों के लिए प्रेरक होती है?

उत्तरः पुलिस कार्य ऐसा है कि उसमें सिपाही से लेकर उच्च स्तर तक सभी में नेतृत्व कौशल होना आवश्यक है। एक सिपाही भी अपनी बीट में अनेक मामलों में स्थानीय लोगों को नेतृत्व प्रदान करता है। विशेष रूप से दो पक्षों में विवाद या झगड़ा होने की स्थिति में उसे एक निष्पक्ष एवं प्रभावी शक्ति के रूप में दोनों ही पक्षों में सुलह समझौते से शान्ति कायम रखने का प्रयास करना होता है जिसके लिये नेतृत्व कौशल आवश्यक है। और यह भी सत्य है कि पुलिस अधिकारी का कार्य एवं आचरण न केवल अधीनस्थों के लिये बल्कि स्थानीय जनता के लिये भी उदाहरण का प्रतीक बनता है। हमारे उत्तराखण्ड पुलिस में ही विभिन्न स्तरों पर अनेक ऐसे अधिकारी हैं जिनकी किसी विशिष्ट प्रकरण में शिकायत करने वाले भी यह मानते हैं कि उक्त पुलिस अधिकारी में किसी प्रकार की बदनियती या बेईमानी नहीं है। यह अवश्य है कि पुलिस नेतृत्व का प्रभाव सभी स्तरों और अधीनस्थों तक पहुँचने में काफी समय लगता है क्योंकि पुलिस की कार्य संस्कृति गहराई तक स्थापित है और इस प्रकार का परिवर्तन कठिनाई से और देर से आता है।

प्रश्नः आप, थाना स्तर के अधिकारियों को नेतृत्व व पर्यवेक्षण संबंधी क्या सुझाव देना चाहेंगे?

उत्तरः थाना स्तर के सिपाही से लेकर थाना प्रभारी को प्रमुख रुप से यह सुनिश्चित करना है कि वे जनता के लिये उपलब्ध रहें, उनकी बात ध्यान पूर्वक सुनें तथा उनकी जो भी समस्या हो उसके निवारण के लिये तत्पर रहें। अनेक समस्यायें वे हल नहीं कर पायेंगे, लेकिन लोगों में यह भावना बलवान होगी कि उनकी शिकायत के समाधान का प्रयास किया गया। दूसरी आवश्यकता यह है कि समस्याओं के निवारण में केवल पुलिस के कानूनी अधिकारों जैसे गिरफ्तारी आदि का ही सहारा न लिया जाय बल्कि अगर विवाद की कोई स्थिति है तो उसको सुलह समझौते से निबटाया जाय। तीसरी बात जो उन्हें ध्यान में रखनी है वह यह कि उनका प्राथमिक कर्तव्य मानवाधिकारों की रक्षा का है और इसमें शिकायतकर्ता के ही नहीं बल्कि उसके प्रतिपक्षी या अभियुक्त के मानवाधिकार भी सम्मिलित हैं। अन्ततः पुलिस कर्मियों के समक्ष अपने मूलभूत उद्देश्य अर्थात् अपराध और अव्यवस्था की रोकथाम एवं प्रबन्धन, हर समय रहना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में काम करते समय उनको दिशा मिल सके कि उन्हें किस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रश्नः उत्तरखण्ड पुलिस अधिनियम में एक थाना प्रभारी का कार्यकाल १ वर्ष तक का ही है जोकि उच्चतम न्यायालय के २००६ के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। क्या आपके विचार में इसका बेहतर पुलिसिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है?

उत्तरः यह सत्य है कि पुलिस में कार्यकाल एक महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि स्थानीय लोगों से परिचित होना, उनकी समस्याओं को जानना, विभिन्न समुदायों में व्याप्त विवाद या संघर्ष के कारणों की जानकारी करना, व उनके समाधान के उपाय ढूंढना समय लेता है। अब यह कार्यकाल एक वर्ष का हो या दो वर्ष का यह कहना कठिन है परन्तु मेरा प्रयास यह है कि न केवल थाना प्रभारी बल्कि अन्य स्तरों के पुलिस कर्मियों का भी कार्यकाल अधिक से अधिक रहे जब तक कि कोई प्रशासनिक कठिनाई सामने न आये। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम में भी थाना प्रभारी का जो कार्यकाल एक वर्ष का दिया गया है वह न्यूनतम कार्यकाल है तथा उसे और बढ़ाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

प्रश्नः पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा शिकायत आपको भेजी जाती है, क्या आप इन शिकायतों और निपटारे की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे?

उत्तरः पुलिस शिकायत प्राधिकरण से प्राप्त शिकायतों तथा उनकी संस्तुतियों पर पुलिस विभाग में गम्भीरता से विचार किया जाता है लेकिन यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पुलिस कर्मियों के भी मानवाधिकार हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कतिपय नियमों के अन्तर्गत ही की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस स्तर की विभागीय कार्यवाही की जाय यह निर्णय अन्ततः उस कर्मी के अनुशासनिक अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है और यह निर्णय quasi-judicial प्रकृति का होता है जिसमें कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के स्तर पर भी पुलिस के विरुद्ध प्राप्त गम्भीर शिकायतें पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सौंपने का हमने निर्णय लिया है।

प्रश्नः सबसे निचले स्तर पर पुलिस कर्मियों को हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनके पास अत्यधिक काम है, अवसंरचना की कमी है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग नहीं है इसलिए कई बार उन्हें कानूनों का उल्लंघन करना पड़ता है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?

उत्तरः यह सही है कि पुलिस कर्मियों को कानून का उल्लंघन कई बार करना पड़ता है क्योंकि उनसे उनके अधिकारियों या स्थानीय लोगों द्वारा परिणाम तुरन्त देने की अपेक्षा की जाती है जैसे कि अपराधों का अनावरण करना, किसी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करना आदि, और यह नहीं देखा जाता है कि अपराध के अनावरण के लिये पर्याप्त सुराग उपलब्ध हैं या नहीं, या फरार अभियुक्त की लोकेशन के बारे में पर्याप्त सुराग हैं या नहीं। जैसा मैंने पहले कहा यह स्थिति पुलिस विभाग में सिर्फ निचले स्तर के पुलिस कर्मियों तक ही नहीं बल्कि उच्च स्तर पर भी है क्योंकि अनेक बार जनता और विभिन्न संस्थायें भी पुलिस से केवल परिणाम की अपेक्षा करती हैं बिना यह विचार किये कि यह परिणाम प्राप्त करना कहाँ तक उनके हाथ में है। अब भी अक्सर यह सुनने को मिलता है कि यदि पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। परन्तु यह भी सत्य है कि जब तक पुलिस कानून का उल्लघंन करती रहेगी और जनता को यह बताने का प्रयास नहीं करेगी कि कुछ मामलों में परिणाम प्राप्त न हो पाये यह भी सम्भव है, तब तक इस उससे इस प्रकार की सर्वशक्तिमान होने की अपेक्षा बनी रहेगी।

अनुसुचित जाति व जनजाति के प्रति अपराध - विशिष्ट कदम आवश्यक

भारतीय समाज का गठन और वर्गीकरण प्रत्यक्ष रूप से जातिगत है। इसी प्रकार समाजिक कुप्रथाएं और अपराधों का स्वरूप भी जातिगत भेदभाव से ग्रस्त रहे हैं। कथित उचित जाति के लोग निचली जाति और जन जातियों जिन्हें अनुसुचित जाति व जनजाति (अनु जाति व जनजाति) कहा गया है, से कई ऐसे काम करवाते हैं जिसे वे घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं जैसे: कब्र खुदवाना, कंकालों को उठाना, कूड़ा तथा मल उठाना आदि। लेकिन, अगर कोई ऐसे किसी कार्य को करने से मना कर दे तो फिर उसे तथा उसके परिवार को प्रताड़ित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। यह प्रताड़ना सामाजिक बंदिशों से बढ़कर जघन्य अपराध का रूप आसानी से ले लेती है। कुंए से पानी न लेने देना, इनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने न देना, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थिति पर रोक तथा इनके विरुद्ध विशेष रूप से हत्या, आगजनी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लूट आदि जैसे संगीन अपराधों के मद्देनज़र राष्ट्रीय स्तर पर दो कानून बनाए गए :

- सिविल अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम १९५०
- अनुसूचित जाति व जनजाति(प्रताड़ना निषेध) अधिनियम १९८९ व अनुसूचित जाति व जनजाति (प्रताड़ना निषेध) नियम १९९५

अपराधों का सूची

इस कानून की धारा ३ के अंतर्गत के इस कानून के अंतर्गत अपराधों को सूचिबद्ध किया गया है। यह अपराध नए हैं इसलिए पुलिसकर्मियों को इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि वे इसकी शिकायत दर्ज करके जांच कर सकें। लेकिन, इस कानून के अंतर्गत केस दर्ज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि ये किसी गैर सदस्य द्वारा किए गय हों अर्थात् आरोपी कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य न हो। इस कानून के अंतर्गत कुछ अपराध निम्नलिखित हैं :–

- उक्त समूह के सदस्य को कोई अप्रिय या नहीं खाई जाने वाली वस्तु के खाने या पीने के लिए बाध्य करना,
- उनके घरों में जानबूझकर अपमान करने, परेशान करने या चोट पहुंचाने के लिए कूड़ा, कंकाल या अप्रिय वस्तु फेंकना,
- जबरदस्ती उन्हें वस्त्रहीन करना या उनका मुँह रंगना या ऐसा कुछ भी करना जो मानव सम्मान के लिए अपमानजनक है,
- किसी की जमीन से या ऐसी किसी जमीन से जो किसी अधिकारी द्वारा उक्त समूह के लोगों के लिए अधिसूचित की गई हो, को जोतना, कब्जा करना या उसे अपने नाम पर स्थानान्तिरत करना,
- किसी को उसके जमीन पर अधिकार जतलाने से रोकना या किसी जमीन परिसर या पानी का लाभ उठाने से रोकना,
- किसी ऐसी जगह पर जाने से रोकना जो दूसरे लोगों के लिए खुली हो,
- भीख मांगने के लिए बाध्य करना या कोई भी काम करने के लिए बाध्य करना,
- सबके सामने बेइज्जती करने के लिए बुरा भला बोलना,
- इनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, आदि।

उपरोक्त सभी अपराधों के लिए कम से कम १ वर्ष तथा अधिक से अधिक ५ वर्ष की सज़ा निश्चित् की गई है। इसके अलावा :

- इनके घर या पूजाघर या ऐसी किसी इमारत में इसे नष्ट करने के लिए आग लगाने या विस्फोटक लगाने वाले को कम से कम १० साल या उससे अधिक के लिए कारावास तथा जुर्माना होगी,
- अगर उक्त समूह के लोगों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए जिसकी सज़ा १० साल या अधिक हो तो वह बढ़कर आजीवन कारावास और जुर्माना हो जाएगी,
- अगर कोई सरकारी मुलाजिम इनके विरुद्ध अपराध करता है तो उसे कम से कम १ साल की सजा या उस अपराध के लिए निर्धारित सज़ा दी जाएगी।

अनुसूचित जाति व जनजाति (प्रताड़ना निषेध) अधिनियम १९८९ व अनुसूचित जाति व जनजाति (प्रताड़ना निषेध) नियम १९९५ के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए केवल जाति के आधार पर अर्थात् अगर अपराधी गैर अनुसूचित जाति व जनजाति का है तो और कड़ी सज़ा का प्रावधान दिया गया है और विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।

जैसे :– जांच

- इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक केस की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।
- इसके अंतर्गत पुलिस जांच को ३० दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
- आरोपी को पूर्वाभाषी जमानत नहीं दिया जाएगा।
- अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस कानून के अंतर्गत आरोपी हो तो उसे भी न्यूनतम उच्च दण्ड दिया जाएगा और यह भी महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत आधिकारिक कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वालों को भी दण्डित करने का प्रावधान है।

न्यायिक प्रक्रिया

- इस कानून के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट (सत्र न्यायालय) तथा स्पेशल अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान भी है ताकि प्रताड़ना के केसों की जल्द सुनवाई हो सके।

सहायता और पुनर्वास

- इस कानून के अंतर्गत, अत्याचार पीड़ितों व गवाहों को जांच व मुकदमे के समय यात्रा व खर्चा भत्ता के अलावा पीड़ितों को श्रेणीबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता और कानूनी रूप से न्यायसंगत राहत और पुनर्वास का प्रावधान भी है।

राष्ट्रीय व राजकीय निगरानी प्रक्रिया

- इस कानून के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए डी./आई.जी.पी. के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सुरक्षा सेल की स्थापना का प्रावधान भी है।
- इसके अलावा (क) एक नोडल अफसर की नियुक्ति का प्रावधान है जोकि जिला मस्ट्रिट और एस.पी.या दूसरे अधिकृत अधिकारियों के बीच संयोजन करेगा। (ख) जिला स्तर पर एक स्पेशल अफसर की नियुक्ति का भी प्रावधान है जो जिला मस्ट्रिट, एस.पी. या इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार दूसरे अधिकारियों के बीच संयोजन बनाए रखेगा।

रोकथाम की कार्यवाही

- अनेकों प्रकार की रोकथाम की कार्यवाही करना जैसे : एक मॉडल सम्भावित योजना बनाना, प्रताड़ना प्रवृत्त क्षेत्रों को पहचानना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उनके अधिकारों के बारे में जारुकता शिविर लगाना।

पुलिस के कानूनी दायित्व

अपने कानूनी दायित्वों के विपरीत कई बार सुरक्षा अधिकारी और पुलिस कर्मी स्वंय ही अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध करते हैं या फिर उनके खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं, इसका कारण भी जातिगत घृणा ही होती है।

पुलिस द्वारा किए गए अपराध कुछ विशिष्ट प्रकार के होते हैं जैसे :

- हिरासत में प्रताड़ना और मौत,
- उक्त समूह के सदस्यों के गांव व घरों में छापा मारना, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, महिला समूह के साथ बलात्कार आदि।

२००९ के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के विरुद्ध अपराधसिद्धि दर क्रमशः २९.६% तथा २७.२% जबकि राष्ट्रीय अपराधसिद्धि दर आई.पी.सी. व स्पेशल कानूनों के लिए क्रमशः ४१.७% व ८७.३% है। हांलाकि, २००८ की तुलना में उक्त कानून के अंतर्गत दण्ड पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है लेकिन यह काफी नहीं है। कारण कई हो सकते हैं जिनमें पुलिस जांच के दौरान सबूतों मे कमी भी सम्मिलित है। पुलिस इस कानून के अंतर्गत क्या कर सकती है?

- पुलिस सबसे पहले उचित प्रावधानों के अंतर्गत केस दर्ज करे। पुलिस उक्त कानून के अंतर्गत केस दर्ज करने से कतराती है, खास तौर पर तब, जब वह स्वंय कथित उच्च जाति का सदस्य हो। इससे न केवल अपराधी का मनोबल बढ़ता है बल्कि पीड़ितों को वैधानिक रूप से देय मुआवज़ा भी नहीं मिलता।
- इसके बाद पुलिस जांच के दौरान, जोकि कम से कम किसी डी.एस.पी. द्वारा होनी चाहिए और ३० दिनों के भीतर पूर्ण हो जानी चाहिए। कानून की मंशा इस प्रावधान से यही है कि सबूतों को एकत्रित करने में वरिष्ठ अधिकारी का अनुभव कारगर हो और किसी प्रकार की कमी न रह जाए। लेकिन, निष्पक्षता न हो तो प्रावधानों का कार्यान्वयन सार्थक नहीं हो सकता। अपराध न सिद्ध होने की दर को देखकर पुलिस की मंशा पर सवाल उठना निश्चित है।
- इस कानून के अंतर्गत पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करे जिनके पास हथियार हैं और जो इसका उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के लिए कर सकते हैं, इसकी सूचना उक्त लाईसेंस के रद्द करवाने के लिए दे सकती है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी इस कानून के अंतर्गत आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए काम करना होगा चाहे वह न्याय प्रणाली स्थापित करना हो या फिर इस वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक अवसर प्रदान कराना हो, जिससे वे स्वयं सशक्त हो सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए डटे रहें।

इसी संदर्भ में, बिहार राज्य कैबिनेट ने जुलाई २०११ में ३० जिलों में नए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति थाने खोलने का निर्णय लिया है। इसने प्रत्येक थाने के लिए विभिन्न स्तरों पर १७ कर्मचारी के हिसाब से पहले ही ५१० पदों को स्वीकृत कर दिया है।

संक्षेप में, यह समझना आवश्यक है कि इस कानून के मकसद को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस ही पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी है जो उक्त कानून के अंतर्गत केस दर्ज करके उन्हें राहत दिलवा सकती है।

– ज़ीनत मलिक

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला में हम इस बार केरल पुलिस द्वारा थानों की अवसंरचना की बेहतरी के लिए जारी किए गए एक सर्कुलर को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पुलिस महानिदेशक ने जो निर्देश दिए हैं उनको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का मकसद यह है कि दूसरे राज्यों द्वारा भी इसे बगैर अतिरिक्त परिश्रम के अपनाया जा सके। आशा है, यह जानकारी लाभप्रद सिद्ध होगी।

आप भी इस श्रृंखला में उचित योगदान कर सकते हैं इसे हम ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे।

केरल में थानों की अवसंरचना निरीक्षण निर्देश जारी

दरअसल, केरल पुलिस अधिनियम २०१० की धारा ६ के अनुसार 'राज्य पुलिस प्रमुख को राज्य के प्रत्येक थानों में उपलब्ध सुविधाओं की उपयुक्तता का निरीक्षण करना होगा।' इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए राज्य पुलिस प्रमुख ने १७ मार्च २०११ को एक सर्कुलर जारी करके उचित प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया है।

इसके अनुसार प्रत्येक थाने में निम्नलिखित सुविधाओं का परीक्षण ज़िला पुलिस प्रमुख द्वारा किया जाएगा और इसके लिए वह किसी भी डी.एस.पी. को तैनात करेंगे जो उस ज़िले के प्रत्येक थाने में जाकर निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता और उपयुक्तता पर रिपोर्ट तैयार करेगा:–

(i) थाने में पदस्थापित सभी लोगों के लिए कुर्सी और मेज़ और उन्हें रखने के लिए जगह की उपलब्धता।

(ii) महिला और पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष जिसमें अनुमोदित बल के कम से कम १० प्रतिशत लोगों के लिए चारपाई और बिस्तर उपलब्ध हो।

(Iii) महिला और पुलिस कर्मचारियों के लिए शौचालय सुविधा।

(iv) अभिग्रहण क्षेत्र जहां आगन्तुकों के लिए उपयुक्त फर्नीचर हो।

(v) ज़ब्त की गई वस्तुओं को संरक्षण में रखने का स्थान उपलब्ध होना।

(vi) हिरासत में ली गई गाड़ियों के संग्रह के लिए स्थान व क्षेत्र।

(vii) पुराने व नये फर्नीचरों के आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए उनके भण्डारन व रखने की जगह।

(viii) हथियार व युद्ध सामग्री को सुरक्षित रखने का स्थान।

(ix) आरोपी को हिरासत में रखने की सुविधा।

(x) संचार व्यवस्था जिसमें फोन, मोबाईल, वायरलेस, इंटरनेट, वीडियों, टेलीविज़न आदि शामिल हैं।

(xi) बिजली और बिजली फिटिंग।

(xii) पानी सप्लाई।

(xiii)आधिकारिक गाड़ियां।

(xiv) सुरक्षा उपकरण।

(xv)कंप्यूटर और डिजीटल उपकरण।

(xvi) हथियार और युद्ध सामग्री।

(xvii) केसों के उचित जांच के लिए आवश्यक उपकरण।

(xviii) लेखन सामग्री।

(xix) कानून व व्यवस्था संबंधित उपकरण जैसे– बैरीकेडस, शील्ड, बॉडी प्रॉटेक्टर इत्यादी।

(xx) ट्रैफिक उपकण जैसे अल्कोमीटर, ट्रैफिक चैनेलाईज़र, रेफ़्लेक्टिव जैकेट्स इत्यादी।

३. उपरोक्त सुविधाओं को प्रत्येक थाने में आंकने की इस प्रक्रिया को ऐनुअल पुलिस स्टेशन इंफरास्टरक्चर रिव्यू (ए.पी.एस.आर.) कहा जाएगा।

४. हर वर्ष अप्रैल के महीने में जिला प्रमुख द्वारा निर्धारित डी.एस.पी. द्वारा ए.पी.एस.आर. किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि यह डी.सी.पी. कोई एस.डी.पी.ओ. ही हो। अगर किसी ज़िले में थानों की संख्या अधिक है तो यह काम वहाँ के सभी डी.एस.पी. द्वारा बांटा जा सकता है, जैसा कि जिला पुलिस प्रमुख द्वारा तय किया जाए।

५. डी.सी.पी. द्वारा ए.पी.एस.आर. के बाद जिला पुलिस प्रमुख आवश्यकताओं का स्तरीकरण करेंगे और उसमें आवश्यक बदलाव के बाद सम्पादित करेंगे। वह संयुक्त जिला ए.पी.एस.आर. को, ऊपर सूचिबद्ध (2)(i) से (xx) के प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत समूचे जिले की आवयकताओं से संबंधित अलग अलग रिपोर्ट देंगे। (जैसे कि– आंकड़े और रिपोर्ट, उदाहरणतः हर थाने में वाहनों की प्र्याप्तता एक स्थान पर एक के बाद एक होनी चाहिए, अर्थात् हर शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न थानों की आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से लिखना चाहिए ताकि इसे पुलिस मुख्यालय में उस वर्ग से संबंधित आगे की कार्यवाही के लिए आसानी से अलग किया जा सके)।

६. प्रत्येक ज़िले के लिए एक ए.पी.एस.आर. हर वर्ष १५ मई तक पुलिस मुख्यालय पहुँच जाना चाहिए।

७. जून के प्रथम सप्ताह में राज्य पुलिस प्रमुख ए.पी.एस.आर. मानक मीटिंग का आयोजन करेंगे जिसमें सभी प्रांतीय ए.डी.जी.पी., और आई. जी. पी. भाग लेंगे। इस मीटिंग में व्यावहारिक रूप से प्राप्त किये जाने वाले मानकों को निश्चित किया जाएगा और आवंटन किया जाएगा। इस आधार पर अगर विभाग में फंड और संसाधनों की कमी हो तो, सरकार से वर्तमान या अगले वर्ष में, आवश्यक अतिरिक्त आवंटन के लिए कहा जाएगा।

८. जिला पुलिस प्रमुख समय सारणी के अनुसार तुरंत कार्यवाही करेंगे।

– ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादक महोदय,

लोक पुलिस के जुलाई अंक में छपे संविधान के अंतर्गत विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के समावेश का तुलनात्मक प्रदर्शन बेहद लाभप्रद प्रतीत हुआ। वास्तव ही, जब भी मानवाधिकारों की चर्चा होंती है तो मस्तिष्क में एक सवाल उठा करता था कि मीडिया के कारण हर कोई मानव अधिकारों की बात करने लगा है वरना यह सब अपने देश में कहां होता था। हांलाकि, हमारे प्रशिक्षण के दौरान सरसरी तौर पर मानवाधिकारों के प्रति भी जानकारी दी गई थी लेकिन स्थानीय संविधान में यह इतने विस्तृत तौर पर दिया गया है यह ज्ञानवर्धक था।

धन्यवाद

भागलपुर
महिला कांस्टेबल,
बिहार पुलिस

महोदया,

लोक पुलिस के अगस्त २०११ के अंक में राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा अपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए शुरू किये गये कार्यक्रम के बारे में पढ़कर अच्छा लगा। शायद हमारे राज्य में भी नये व पुराने सभी पुलिसकर्मियों के लिए इस प्रकार के कुछ कोर्स करवाये जाएं जोकि हमारे मानसिक तनाव को कम कर सके और अनुशासन पैदा करने में लाभप्रद हो। अगर ऐसा कुछ हमारे यहां हुआ तो मैं अवश्य ही लोक पुलिस को अवगत कराऊंगा।

कांस्टेबल, शिमला
हिमाचल पुलिस

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार – हर कोने की हलचल

२० साल की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं

चंडीगढ़ पुलिस बल में तकरीबन १००० कांस्टेबलों की २० साल सेवा करने के बाद भी पदोन्नति न होने के कारण उनमें बेहद रोष है। इसका मुख्य कारण है पदोन्नति के लिए पंजाब पुलिस नियमावली के एक पुराने नियम १३.७ के अंतर्गत बी-१ टेस्ट को पास करना है। इसे पास करना अधेड़ उम्र (४५-५०) के पुलिसकर्मियों के लिए बेहद कठिन है जिस कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है।

चंडीगढ़ पुलिस का यह प्रचलन न तो केन्द्र और न ही संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनिवार्य किया गया है लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अकारण ही इस नियम को अनिवार्य कर रखा है। हांलाकि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब पुलिस नियमावली में संशोधन जारी कर दिया गया है इसलिए प्रशासन अपनी ओर से उक्त नियम के अंतर्गत उचित कदम उठा सकती है।

कई पीड़ित कांस्टेबलों ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि २० साल तक काम करने के बाद भी अगर उन्हें पदोन्नति नहीं मिलने से उनके मनोबल को बेहद अघात पहुंचा है। एक कांस्टेबल ने यह भी कहा कि बी-१ टेस्ट को पास करने की अनिवार्यता को कायम रखने से बल में भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

ग्लोबल हयूमन राईट्स काउंसिल इन परेशान पुलिसकर्मियों के बचाव में सामने आया है और इसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गुहार लगाई है। इसने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, योग्य पुलिसकर्मियों को पंजाब पुलिस नियमावली १९३४ के नियम १३.७ के अंतर्गत बगैर बी-१ टेस्ट के पदोन्नति दिए जाने की मांग की है। इसने यह भी कहा है कि २० साल तक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति न देना संविधान के अनुच्छेद २० व २१ के अंतर्गत उनके मानवाधिकारों का हनन है।

मानव अधिकार आयोग को हस्तक्षेप करना पड़े या स्थानीय प्रशासन को उचित प्रबंध करना पड़े लेकिन इन अधेड़ उम्र पुलिस आरक्षकों को प्रोमोशन मिलना ही चाहिए। बगैर उचित सुविधा, वेतन और आवश्यक भत्तों के हम कब तक पुलिस की कार्य कुशलता पर सवाल उठाते रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन को अति शीघ्र इस समस्या का निदान करना होगा ताकि उनके मनोबल बढ़े और अपने काम के प्रति आदर उत्पन्न हो।

(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम २ अगस्त २०११)

पुलिसकर्मियों की कमी से जूझती महाराष्ट्र पुलिस

महाराष्ट्र पुलिस में मानव संसाधनों की कमी के प्रत्यक्ष परिणाम पुलिस की कार्यकुशलता में कमी के रूप में दिखने लगे हैं। दरअसल, पुणे के एक बिल्डर राणे की नवंबर २००६ में बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस और बाद में राज्य सी.आई.डी. भी एक साल बाद भी अपराधी को पकड़ नहीं पाई, इसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने १३ जून २०११ को इस केस को सी.बी.आई. को सौंप दिया था। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पुलिस बल के आंकडों का ब्यौरा शपथपत्र पर मांगा था क्योंकि इस केस की जांच में असफलता ने राज्य पुलिस की क्षमता पर ही सवाल उठा दिये हैं।

राज्य गृह सचिव द्वारा दिए गए शपथपत्र में बताया गया है कि २००१ में पुलिसकर्मियों की संख्या १४२०७३ थी, वहीं २०११ में बढ़कर २०७७६८ हो गई है। इनमें २००० पुलिसकर्मी वी.आई.पी. और वी. वी.आई.पी. सुरक्षा पर तैनात हैं।

जहां महाराष्ट्र की स्वीकृत पुलिस शक्ति ६५९८५ है और १५ जून २०११ तक २०७७६८ में से २६९८५ स्थान रिक्त पड़े थे। पिछले दशक में राज्य पुलिस की कुल संख्या केवल ६५६८६ बढ़ी है जबकि जनसंख्या १.५६ करोड़ से बढ़कर ९.६७ करोड़ हो गई है।

राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि लगातार रिक्त स्थानों की पुर्ती करे वरना इसकी कमी का खामियाजा आम जनता और अपराध पीड़ित भुगतते रहेंगें।

(सौजन्यः हिन्दूस्तान टाईम्स डॉट कॉम, ३ अगस्त २०११)

झारखंड पुलिस में महिलाओं की बढ़ोतरी

रांची में डी.आई.जी. सम्पत मीणा ने शहर के हर थाने में महिलाओं से संबंधित केसों से निपटने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया। इसके अंतर्गत पिछले मीहने २४ महिला कास्टेबलों को कानून और प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया जिन्हें शहर के १२ थानों में तैनात किया जाएगा। इन महिला कांस्टेबलों को कानून व प्रक्रिया के अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिला पीड़िताओं से बातचीत करने का ढ़ंग भी सिखाया गया ताकि वे इन महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए राज़ी कर सकें।

डी.आई.जी. मीणा ने बताया कि 'महिला होने के कारण उन्हें मालूम है कि कई महिलाएं थाने नहीं आ सकती या ठीक से बात नहीं कर पाती हैं इसलिए दो तरफा बातचीत बढ़ाने के लिए मैं इस सोच को कार्यान्वित करना चाहती थी।' वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक ने भी बताया कि इन महिलाओं को सबूत इकट्ठा करना, फोन का रिकॉर्ड रखना, वायरलेस पर सूचना प्राप्त करने जैसी तकनीकी जानकारियां दी गईं। उनके प्रशिक्षण का पुनः निरीक्षण तैनाती के १५ दिनों के बाद किया जाएगा।

रांची पुलिस की महिला पीड़िताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश बेहद सराहनीय है जिसे आवश्यकता महसूस करने पर दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया जा सके।

(सौजन्यः डेली पायनियर डॉट कॉम, ४ अगस्त २०११)

राजनैतिक दबाव से पुलिस क्यों अप्रभावित नहीं?

सी.बी.आई. के पूर्व अध्यक्ष श्री कारथिकेयन ने केरल के सम्पथ केस में सी.बी.आई. के दो वरिष्ठ अफसरों के विरुद्ध एरनाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उसे वापस लेने पर, पूछे जाने पर कि क्या सी.बी.आई. की यह हरकत उचित है? उन्होंने इसके जवाब में यही कहा कि 'कायदे से तो वारंट के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जहां पूछताछ के बाद आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। इस केस में वारंट वापस लेने का कोई कारण होगा।'

इसके अलावा, गृह मंत्रालय के संसदीय पैनल को दिए गए अपने सुझाव के बारे में उन्होंने बताया कि "पुलिस को, राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह राजनीति से ऊपर रखना चाहिए, जब सी.बी.आई. डायरेक्टर के काम की बात हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्हें बाध्य कर सके, वह जितना चाहे स्वतंत्र हो सकते हैं कृव्यवस्था के अनुसार उन्हें एक कानून अधिकारी दिया जाता है जो उन्हें सलाह दे सकता है। वह उस सलाह को पूरी तरह मानने के लिए बाध्य नहीं है और उसे पूरी तरह नज़रअन्दाज़ भी नहीं कर सकते।" उनके अनुसार पुलिस को भ्रष्टाचार से बचाने का केवल एक ही रास्ता है, इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना।"

सी.बी.आई. हो या फिर पुलिस इनके काम में और कानून से बचाव में जैसा कि सम्पत के मौत के केस में हुआ, राजनैतिक हस्तक्षेप हर तरह से व्याप्त है। अभी पिछले महीने १६ अगस्त को सारे देश ने देखा कि दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार कठपुतली की तरह काम किया। एक ओर अकारण गिरफ्तारी की तो दूसरी ओर राजनैतिक आदेश आने पर आन्दोलनकारियों को रिहा भी कर दिया। पुलिस की ऐसी हरकतों से जनता के समक्ष इनकी छवि धूमिल होती है और यही संदेश जाता है कि पुलिस स्वंय ही कानून सम्मत काम न करके केवल राजनैतिक पार्टियों के आदेश का पालन करती है, इसे कानून का नहीं बल्कि उनका डर है जो इन्हें नियुक्त करते हैं। लेकिन, सवाल यह है कि यह डर क्यों? अगर दिल्ली पुलिस ने आन्दोलन के समय अन्ना और उनके साथियों को गिरफ्तार करने से सरकार को मना कर दिया होता तो क्या होता? शायद उन्हें कोई न कोई कारण बताकर उनके पद से हटा दिया जाता। लेकिन, अगर वे अपने कानून सम्मत कार्य का निष्पादन करते जोकि जनता के समक्ष था, तो जनता के सामने समूचे बल की गरिमा बनी रहती और पुलिस की छवि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित हो जाती। पुलिस की विवशता अकारण हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि यह सीधे–सीधे सरकार को चुनौति देने जैसा है जिसके लिए दण्डित होने को अधिकारी तैयार नहीं होते। इस पूरे प्रकरण ने इस बात को और साफ कर दिया कि पुलिस सरकारी आदेशों का पालन करती है न कि कानून का, जोकि इसकी सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य है। पुलिस नेतृत्व अगर व्यक्तिगत लाभ व लोभ को छोड़ दे तभी आम जनता का पुलिस में विश्वास स्थापित हो पाएगा। राजनैतिक दबावों और हस्तक्षेपों से बल को बचाना बहुत हद तक नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह जनता और कानून के लिए कितना त्याग कर सकता है।

(सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १५ अगस्त २०११)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org